E. Mail

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2018—II जयपुर, दिनांक: 03.05.2019

गेहूँ आवंटन आदेश माह जून, 2019
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक 1-8/2013—बी.पी.—III दिनांक 26.09.2013 एवं विभागीय आदेश दिनांक 07/08.02.2019 तथा गाईडलाईन दिनांक 12.02.2019 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल राशन कार्डधारियों को 1/— रू. प्रति किग्रा. की दर से तथा PHH अन्य श्रेणी को 2/— रू. प्रति किग्रा. की दर से पात्रतानुसार माह जून, 2019 हेतु गेहूँ का जिलेवार उप आवंटन संलग्न परिशिष्ट—1 के अनुसार किया जाता है। उचित मूल्य दुकानवार उप—आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उठाव के दौरान निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :—

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सभी पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न (गेहूँ) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। माह जून, 2019 के पेटे गेहूँ का मासिक आवंटन 02 श्रेणियों में किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में जून माह हेतु उचित मूल्य दुकानवार अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल राशन कार्डधारियों को 1/— रू. प्रति किग्रा. की दर से तथा PHH अन्य श्रेणी को 2/— रू. प्रति किग्रा. की दर से पात्रतानुसार सप्लाई चैन मैनेजमेंट व्यवस्था (SCM) के माध्यम से गेहूँ आवंटन किया गया है।

गेहूँ आवंटन की श्रेणियाँ (Categories)		
श्रेणी	शीर्षक	दर
प्रथम	AAY, BPL & SBPL	1/—रू.
द्वितीय	PHH (Others)	2/—रू.

2. खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत **"अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल व PHH अन्य श्रेणी"** के पात्र परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक 01.05.2019 की अद्यतन संख्या के आधार पर माह जून, 2019 का आवंटन, ऑफलाइन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतद्द्वारा जिलेवार उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है।

3. खाद्य मुख्यालय से जारी जिलेवार एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानवार गेहूँ के आवंटन आदेश के अनुरूप श्रेणीवार गेहूँ के उठाव का रिलीज ऑर्डर (RO) जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। आवंटित गेहूँ के जिला स्तर पर समय पर उठाव एवं आपूर्ति की संयुक्त जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारी एवं प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति की होगी।

4. खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी गेहूँ के आवंटन, उठाव एवं वितरण हेतु श्रेणीवार प्रविष्टियाँ संधारित की जाएगी।

5. उचित मूल्य दुकानों को गेहूँ की आपूर्ति उचित मूल्य दुकान पर दोनों श्रेणियों **(प्रथम श्रेणी– अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं द्वितीय श्रेणी– PHH अन्य श्रेणी)** के कार्डो की संख्या के आधार पर की जाएगी।

6. उचित मूल्य दुकान को आवंटित खाद्यान्न मात्रा (गेहूँ) राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित खाद्यान्न मात्रा (गेहूँ) "सेन्ड–टू–पोस" हो जायेगी।

7. जिलेवार खाद्यान्न (गेहूँ) का आवंटन जिले की कुल ऑफ लाइन दुकानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए किया गया है। इस हेतु कोई भी अतिरिक्त आवंटन देय नहीं होगा।

8. योजना अन्तर्गत थोक विक्रेता (KVSS/MCS) एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर श्रेणीवार वितरित गेहूँ के माहवार स्टॉक रजिस्टर के संधारण की व्यवस्था समुचित मार्गदर्शन देकर प्रारम्भ करवाये जाने हेतु पूर्व में दिये गये निर्देशों की पालना की जाए तथा संधारित रजिस्टर के सैम्पल जाँच नियमित रूप से जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा किया जाए ताकि अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल के लाभार्थियों को निर्धारित पात्रतानुसार 1/–रू. किग्रा. की दर से गेहूँ प्राप्त होने की पुष्टि हो सके।

9. नवीन व्यवस्था अन्तर्गत श्रेणीवार वितरित गेहूँ का माहवार स्टॉक रजिस्टर (Stock Register) उचित मूल्य दुकानदार द्वारा संधारित किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन पोस पर परिलक्षित अनुसार ऑपनिंग एवं क्लोजिंग बैलेंस स्पष्ट अंकित किया जाएगा। प्रतिदिन वितरण एवं अवशेष स्टॉक की मात्रा श्रेणीवार (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं पीएचएच अन्य) संधारित की जाएगी। स्टॉक रजिस्टर में श्रेणीवार प्रविष्ट मात्रा का मिलान पोस पर परिलक्षित मात्रा से होना आवश्यक है।

10. गेहूँ वितरण की ग्राहक पर्ची (Beneficiary Receipt) पोस मशीन से आवश्यक तौर पर जारी की जाएगी तथा प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी।

11. सप्लाई चैन मैनेजमेंट व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानवार राशन कार्डों की संख्या के आधार पर गेहूँ का आवंटन किया जा रहा है। अतः आवंटन के अनुरूप उठाव सुनिश्चित किया जाना जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी होगी तथा जिला स्तर से गेहूँ का समर्पण नहीं किया जाए। विशिष्ट परिस्थितियों में गेहूँ के आंशिक समर्पण की आवश्यकता होने पर–
    (अ) समर्पण के प्रस्ताव जिला कलक्टर (रसद) के माध्यम से समुचित कारण (Justifications) सहित प्रेषित किए जाएँ।
    (ब) गेहूँ का समर्पण भी श्रेणीवार किया जाएगा। प्रथम श्रेणी **(अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल)** एवं द्वितीय श्रेणी **(PHH अन्य श्रेणी)** श्रेणी में गेहूँ के समर्पण का रिकॉर्ड पृथक–पृथक संधारित किया जाएगा।

12. **सप्लाई चैन मेनेजमेन्ट व्यवस्था** नवीन लागू **की गई है। अतः प्रारम्भिक 8 माह (सितम्बर, 2018 से अप्रेल, 2019) में दुकानों** को पूर्ण **आवंटन किया गया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर माह जून, 2019 का** खाद्यान्न (गेहूँ) **आवंटन उचित मूल्य दुकानवार 01.09.2018 से**

31.03.2019 तक की समयावधि में खाद्यान्न (गेहूँ) के उपलब्ध स्टॉक (दिनांक 01.04.2019 का प्रारम्भिक स्टॉक) की मात्रा को समायोजित करते हुए किया गया है।

3. माह जून, 2019 के पेटे आवंटित खाद्यान्न के आवंटन/उठाव /वितरण हेतु विभाग द्वारा दिनांक 12.02.2019 को जारी की गई गाईडलाईन की समुचित पालना सुनिश्चित की जावे।

इस विभाग द्वारा गेहूं उठाव बाबत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2014 अनुसार माह जून, 2019 तक का **उठाव उसके पूर्व माह की अंतिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित करें।**

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्ते पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(रामलाल गुर्जर)
उपायुक्त (प्रथम)

क्रमांक एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2018–II जयपुर, दिनांकः 03.05.2019

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त, जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, (क्षेत्र) क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, 4 नेहरू प्लेस, टोंक रोड जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी, जयपुर।
8. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत माह जून, 2019 हेतु आवंटित गेंहू की मात्रा की निर्धारित अवधि में राशि जमा करवाकर उठाव सुनिश्चित् करावें। **गेहूं उठाव के संबंध में भारत सरकार के पत्र क्रमांक** -2/2018-BP.III **दिनांक** 20.02.2019 **द्वारा स्पष्ट है कि की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात गेहूं उठाव एवं राशि जमा कराने की वैधता अवधि का विस्तार नही किया जायेगा।**
9. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग इस आदेश को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करें।
10. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त (प्रथम)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवार एवं अन्य पात्र लाभार्थी) हेतु जिलेवार आवंटन माह जून, 2019

क्र.सं.	नाम जिला	1 Rs per K.G.			2 Rs per K.G		
		Final NFSA AAY Allotment (K.G.)	Final NFSA BPL Allotment (K.G.)	Final NFSA SBPL Allotment (K.G.)	Final NFSA PHH (Others) Allotment (K.G.)	Total Final Allotment (K.G.)	Final Allotment (MT)
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8=7/1000
1	अजमेर	611453	1061166	433164	4656294	6762077	6762.077
2	अलवर	570891	1363580	481035	6600274	9015780	9015.780
3	बांसवाड़ा	1456321	2671850	821628	2263809	7213608	7213.608
4	बारां	1397257	794680	166442	1723219	4081598	4081.598
5	बाड़मेर	784207	2806426	431605	4089351	8111589	8111.589
6	भरतपुर	502535	1599117	375854	4608812	7086318	7086.318
7	भीलवाड़ा	832995	1849029	617181	3432528	6731733	6731.733
8	बीकानेर	363526	2102711	458664	2380449	5305350	5305.350
9	बूंदी	429265	802022	234828	1956053	3422168	3422.168
10	चित्तौड़गढ़	945506	1037396	656189	1483874	4122965	4122.965
11	चूरू	753417	2052316	425505	2550568	5781806	5781.806
12	दौसा	335035	1202430	178430	2622461	4338356	4338.356
13	धौलपुर	263745	761916	155801	2107291	3288753	3288.753
14	डूंगरपुर	806453	2154592	273006	1239879	4473930	4473.930
15	श्रीगंगानगर	389675	1482984	169215	3002620	5044494	5044.494
16	हनुमानगढ़	473776	1162557	202719	3021275	4860327	4860.327
17	जयपुर	432509	1808651	570217	9769185	12580562	12580.562
18	जैसलमेर	210040	543970	141672	819654	1715336	1715.336
19	जालौर	717480	1629782	357290	2415053	5119605	5119.605
20	झालावाड़	500154	1171990	302102	2517244	4491490	4491.490
21	झुंझुनू	308713	608565	230060	3493507	4640845	4640.845
22	जोधपुर	276357	1961274	221013	4896698	7355342	7355.342
23	करौली	540242	1669307	306651	1949444	4465644	4465.644
24	कोटा	306161	1229661	181442	2460829	4178093	4178.093
25	नागौर	552971	1538632	408907	6851257	9351767	9351.767
26	पाली	620260	1467411	373570	2646798	5108039	5108.039
27	प्रतापगढ़	444450	1169302	278860	1081366	2973978	2973.978
28	राजसमंद	635562	1114954	295986	1725619	3772121	3772.121
29	सवाईमाधोपुर	457102	844686	302196	1910333	3514317	3514.317
30	सीकर	291436	918242	201540	6557600	7968818	7968.818
31	सिरोही	342748	693209	215756	1680182	2931895	2931.895
32	टोंक	566043	1015774	425883	2224509	4232209	4232.209
33	उदयपुर	1761646	4363388	915859	4174807	11215700	11215.700
योग		**19879931**	**48653570**	**11810270**	**104912842**	**185256613**	**185256.613**